"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2014— आश्विन 30, शक 1936

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2005/25-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची-तीन में सरल क्रमांक 4 के कॉलम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि"

2. अनुसूची-तीन के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाये, अर्थात् :-

"टीप- ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, के लिए उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी."

No. F 1-6/2005/ 25-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For column 6 of serial number 4 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"Bachelors degree in Law from any recognized University"

2. After Schedule-III, the following Note shall be added, namely :-

"Note - The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.